अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
अनिसाबाद,पटना।

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) – 01/2026–27.

पत्रांक–न0रू0स्था0 (भाड़े का वाहन)–09/2023– पटना, दिनांक–........../ /2026.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय के अन्तर्गत कार्यों के साथ–साथ नहर एवं नहरों के संरचना के रूपांकण एवं विभागीय स्तर पर नहरों के उपर अन्य विभागों के द्वारा किये जानेवाले कार्यों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C) संबंधी कार्य तथा उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु सभी कार्य दिवसों (आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार सहित) में परिचालन के लिए प्रतिमाह के दर से नियत किराया पर (सभी करों के सहित) वाहन (ईंधन रहित चालक सहित) अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, अनिसाबाद, पटना को उपलब्ध कराने हेतु 01 (एक) अदद वातानुकूलित स्कार्पियो निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है:–

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 29.04.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक 14.05.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 14.05.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, अनिसाबाद, पटना।
   (मोबाईल नं०–9430679525)

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी०एस०टी०, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

कम	वाहन का प्रकार	इंधन रहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST, IT etc. सहित

नियम एवं शर्ते

1. भाडे पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा।
2. व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन अनिवार्य है।
3. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनुरुप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होनेवाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहनमालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
5. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
6. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहनमालिक/फर्म की होगी।
9. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया ईंधन रहित देय होगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहनचालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करनेवाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग सबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया इंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
11. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशनदाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा सतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
12. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
13. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगे।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में होगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
18. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तिय वर्ष में भी सेवा का विस्तार की जा सकती है।
19. वाहन मालिक/सेवाप्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से इंधन रहित देय होगा।
20. वाहन का माईलेज वास्तविक रुप से डाले गये इंधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
21. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 21 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक–06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहनमालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/–
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता।
नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना।

पत्रांक–न0रू0स्था0 (भाड़े का वाहन)–09/2023– 163 पटना, दिनांकः– 29/04/2026

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु समर्पित।
अनु०– कोटेशन आमंत्रण का सॉफ्टकॉपी।

29/4/2026

(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना।